

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी – मूलचन्द लूणियां आर.ए.एस.

वाद संख्या 94/2020

निर्णय दिनांक : 24/03/2023

नानूराम पुत्र घासीराम जाति नाई उम्र व्यस्क निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

.....वादी

बनाम

1. आशाराम पुत्र नारायणदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
2. धनराज पुत्र नारायणदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायणदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
4. बनवारीलाल पुत्र हुक्माराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तेलाप तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
5. मोहनलाल पुत्र दियालाराम जाति जाट निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री मोहनलाल बिशु एडवोकेट, श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट अधिवक्ता वादी
2. श्री दिनेश कुमार दाधीच एड. प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05
3. पेशेकार राज तहसीलदार सुजानगढ़

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

-: निर्णय :-

इस दावा का न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 25.08.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया था कि खेत ख.नं. 1235/592 तादादी 7.6628 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है, जिसमें वादी का 1549/19157 हिस्सा नियत है। आदेश दिनांक 25.08.2022 द्वारा उक्त वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया गया था कि वादी के कब्जा काशत व मौके की स्थिति देखते हुए मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करें।

जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया। जिस पर आपत्ति चाही



उप खण्ड अधिकारी,
सुजानगढ़

गई। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति न होना जाहिर किया एवं अपनी बहस में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की इसलिए न्यायालय विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता इस प्रकार से विभाजित किया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है -

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. में)	किस्म	लगान
01.	नानूराम पुत्र घासीराम जाति नाई निवासी कानूता खातेदार (वादी)	1235/592 मिन	0.6196	वा.दो.	1.2266
	1. केसर पत्नी किशनलाल हि. 1265/70432 जाति स्वामी सा. कानूता खातेदार				
	2. धनराज पुत्र नारायणदास हि. 31222/70432 जाति साद सा. कानूता खातेदार	1235/592 मिन	7.0432	वा.दो.	13.9434
	3. बनवारीलाल पुत्र हुकमाराम हि. 9808/70432 जाति ब्राह्मण नि. तेलाप खातेदार				
	4. मोहनलाल पुत्र दियालाराम हि. 1226/70432 जाति जाट नि. कानूता खातेदार				
	5. लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायणदास जाति साद सा. कानूता खातेदार हि. 26911/70432 (प्रतिवादीगण)				

तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2023 को लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



मूलचन्द लूणियां
उपखण्ड अधीक्षक
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस

नानूराम बनाम आशाराम आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 94 सन 2020

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रु-ब-रु
हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एड, श्री दिनेश दाधिच एड. मिनजानिव मुद्ई व पैरोकार राज मिनजानिव मुदापलाह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता निम्न प्रकार से
विभाजित किया जाता है -

क. स.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (है. में)	किस्म	लगान
01.	नानूराम पुत्र घासीराम जाति नाई निवासी कानूता खातेदार (वादी)	1235/592 मिन	0.6196	वा.दो.	1.2266
	1. केसर पत्नी किशनलाल हि. 1265/70432 जाति स्वामी सा. कानूता खातेदार				
	2. धनराज पुत्र नारायणदास हि. 31222/70432 जाति साद सा. कानूता खातेदार	1235/592 मिन	7.0432	वा.दो.	13.9434
	3. बनवारीलाल पुत्र हुकमाराम हि. 9808/70432 जाति ब्राह्मण नि. तेलाप खातेदार				
	4. मोहनलाल पुत्र दियालाराम हि. 1226/70432 जाति जाट नि. कानूता खातेदार				
	5. लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायणदास जाति साद सा. कानूता खातेदार हि. 26911/70432 (प्रतिवादीगण)				

तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

चीज मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलमावी तक को अदा करे।
वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 03. 2023



दस्तखत
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा सुजानगढ़

मुद्ई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।